न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 336/17 **निर्णय दिनांकः 13.08.2018**

1. अर्जुन सिंह पुत्र आम्ब सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 एम भलूरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—06—2015
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री पदम सिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 22—06—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 192/07 में भूमि के

आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जॉच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र धोषित करते हुए उक्त रकबे की प्रथम वरियता कायम करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की की बैठक दिनांक 01—05—2010 को आवंटन स्वीकृत कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बैगर आवंटन निरस्त कर दिया गया। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—2015 के विरूद्व अपील 04—10—2017 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अनियमितता की शिकयत होने पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता) बीकानेर द्वारा जॉच उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से निरस्त योग्य होने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—06—2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 04—10—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत भूमि के समक्ष चक 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 192/7 में भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जॉच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र धोषित करते हुए उक्त रकबे को स्वीकृत करते हुए 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का अनुमोदन तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस प्रदान किये अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01—05—2010 में किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्रों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन(सतर्कता), बीकानेर द्वारा जॉच किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्रों में अनियमितता पाये जाने पर विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को निरस्त योग्य पाये जाने पर दिनांक 22—05—2015 को उक्त प्रार्थना पत्रा को निरस्त किया गया है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि 500/— का नये सिरे से

आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समायेाजित की जावे। इस प्रकार अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित होने पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—06—2015 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर